रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
पाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 1970/चैत्र 27, 1892
No. 145] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 1970/CHAITRA 27, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th April 1970

S.O. 1512.—Whereas a vacancy has occured in the House of the People by reason son of the resignation of Shri Shripati Misra, a member elected to that House from 25-Sultanpur parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 23rd May, 1970, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/UP-HP/7/70(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 1970

का० आ० 1512.—यतः उत्तर प्रदेश राज्य के 25—सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्य श्री श्रीपति मिश्र के त्याग पत्र दे देने के कारण उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है।

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता

है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 23 मई, 1970 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे ।

[सं० 100/उ० प्र०-लो० स०/7/70(1)]

S.O. 1513.—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect of the bye-election to be held in 25-Sultanpur parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/7/70(1), dated the 17th April, 1970,—

(a) the 24th April, 1970 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 25th April, 1970 (Saturday), as the date for scrutiny of nominations;

(c) the 27th April, 1970 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 17th May, 1970 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 23rd May, 1970 (Saturday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/UP-HP/7/70(2).]

का० आ० 1513.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ० प्र० लो० स० /7/70(1) तारीख 17 अप्रैल, 1970 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य में के 25-सुलतानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उपनिर्वाचन के बारें में —

(क) नाम निर्देशन करने के लिये अन्तिम तारीख	24 अप्रैल, 1970	(शुक्रवार) ।
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	25 अप्रैल, 1970	(शनिवार) ।
(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख	27 अप्रैल, 1970	(सोमवार) ।
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा, तथा	17 मई, 1970	(रविवार) ।
(ङ०) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा ।	23 मई, 1970	(शनिवार) ।

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/उ० प्र०-लो०स० /7/70(2)]

S.O. 1514.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 a.m. to 5.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 25-Sultanpur parliamentary constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/7/70(1), dated the 17th April, 1970.

[No. 100/UP-HP/7/70(3).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

का० आ० 1514.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ० प्र०/लो०/स० 7/70 (1) तारीख 17 अप्रैल, 1970 के अनुसरण में लोक सभा के लिये 25-सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन के लिये 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/उ० प्र० लो० स०/7/70/(3)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970